

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228121
SG-DL-E-05072021-228121

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 68
No. 179]	DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943	[N. C. T. D. No. 68

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

सं. फा. 6(9)/2014-15/डीआईपी/स्था./4143.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फोटोग्राफर के पद से संबंधित इस सरकार की दिनांक 21 अगस्त, 1965 की अधिसूचना सं. फा. 18/40/65/एपीपीटीटीएस (बी) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'फोटोग्राफर' के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को 'फोटोग्राफर भर्ती नियमावली, 2021' कहा जाएगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—
 (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	फोटोग्राफर
2.	पदों की संख्या	:	* 04 (2021) * (इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)।
3.	वर्गीकरण	:	'ग' वर्ग अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	स्तर—5 (29200—92300 /— रूपए)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 27 वर्ष केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये चालीस (40) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय नोट :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— (1) मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड से 10+2 (2) किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक निकाय/समाचार एजेंसी/समाचार चैनल/भारतीय समाचार पत्र के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचार पत्र में फोटोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी/वीडियोग्राफी में तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी/वीडियोग्राफी में एक वर्ष का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा। अथवा किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक निकाय/समाचार एजेंसी/समाचार चैनल/भारतीय समाचार पत्र के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचार पत्र में फोटोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी/वीडियोग्राफी में दो वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी/

		सिनेमाटोग्राफी/वीडियोग्राफी में दो वर्ष का डिप्लोमा। अथवा किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक निकाय/समाचार एजेंसी/समाचार चैनल/भारतीय समाचार पत्र के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचार पत्र में फोटोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी/वीडियोग्राफी में तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी/वीडियोग्राफी के ट्रेड में एनएसी (राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र)/एनटीसी (राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र) में उत्तीर्ण। वांछनीय:— कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान तथा फोटो/वीडियो एडिटिंग साफ्टवेयर पर कार्य करने की योग्यता।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा नोट :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी ; या (ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (रुपए 25500-81100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित ; तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	: लागू नहीं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	: ‘ग’ वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति : (1) प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) — अध्यक्ष (2) विभागाध्यक्ष (डीआईपी) — सदस्य (3) उप सचिव (वित्त) — सदस्य (नोट: विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के विभागीय पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा)
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सूचना एवं प्रचार)

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th July, 2021

No.6(9)/2014-15/DIP/Estt/4143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.27/59-HIM(i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No.F.18/40/65/Appts. (B) dated the 21st August, 1965 in so far as it relates to the post of Photographer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules for the post of '**Photographer**' in the Directorate of Information and Publicity, Government of National Capital Territory, Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement:**—(i) These rules may be called the Photographer Recruitment Rules, 2021.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay level in Pay Matrix:**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
3. **Method of recruitment, age limit qualification, etc.:**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications:**—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	Photographer.
2.	Number of Posts.	:	4* (2021) *(Subject to variation dependent on workload).
3.	Classification.	:	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Scale of Pay.	:	Level-5 (Rs.29200-92300)
5.	Whether Selection post or Non-Selection post.	:	Not applicable.
6.	Age-limit for direct recruits.	:	18 to 27 years.

			(Relaxable for government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational & other qualifications required for direct recruits.	:	<u>Essential:-</u> 1. 10+2 from a recognised government board. 2. One year Certificate/ Diploma in Photography/ Cinematography/ Videography from any recognised institute with three years experience in photography/Cinematography/ Videography in a Government Department/Public Sector Undertaking/Autonomous or Statutory Body/News Agency/ News Channel/Newspaper registered with the Registrar of News Paper of India. OR Two year Diploma in Photography/ Cinematography/ Videography from any recognised institute with two years experience in photography/ Cinematography/Videography in a Government Department/Public Sector Undertaking/ Autonomous or Statutory Body/News Agency/News Channel/Newspaper registered with the Registrar of News Paper of India. OR NAC (National Apprenticeship Certificate)/NTC (National Trade Certificate) passed in the trade of Photography/ Cinematography/ Videography from any recognised institute with three years experience in photography/ Cinematography/ Videography in a Government Department/Public Sector Undertaking/ Autonomous or Statutory Body/ News Agency/ News Channel/ Newspaper registered with the Registrar of News Paper of India. <u>Desirable:</u> Should have knowledge of computer operation and ability to work on photo/video editing software.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	:	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies filled by various methods.	:	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre/department; or (ii) with five years' regular service in Level-4 (Rs.25500-81100) in Pay Matrix; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits, recruits under column 7.

11.	In case of recruitment by promotion, deputation/ absorption, grades from which promotion, deputation/ absorption to be made.	:	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Pr. Secretary/Secretary (Power) - Chairperson 2. Head of the Department (DIP) - Member 3. Dy. Secretary (Finance) - Member (Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (I&P)